

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 03.03.2026

थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

◆ थाना अलीनगर व स्वाट/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 01 ट्रक वाहन से आलू की बोरी के नीचे छिपाकर पंजाब राज्य से परिवहन कर बिहार राज्य ले जाए जा रहे 1028 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 9199.8 लीटर) बरामद कर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

◆ बरामद अवैध शराब की अनुमानित कीमत 01.68 करोड़ रुपये।

चन्दौली- अपर पुलिस महामहानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया व पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगे द्वारा जनपद में होली पर्व के दृष्टिगत अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरूण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर, स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव, सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर NH-19 सिन्धीताली पुल के पास चेकिंग के दौरान ट्रक सं0 RJ14GL7458 से 1028 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 9199.8 लीटर) बरामद कर 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।*

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 02.03.2026 को पुलिस टीम गौधना चौराहे पर चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा NH-19 सिन्धीताली पुल पर पहुंचकर रामनगर वाराणसी के तरफ से आने वाले वाहनो की चेकिंग के दौरान हाइवे पर गाड़ियो की कतार लगने लगी जिसकी वजह से वाहन धीरे-धीरे चलने लगी कुछ समय पश्चात 01 ट्रक आता हुआ दिखाई दिया ट्रक चालक पुलिस टीम को देखकर ट्रक को कतार से हटकर पुलिस टीम की तरफ मारने व ट्रक चढ़ाने की नियत से तेज गति से चलाया गया तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा अपनी सुरक्षा करते हुए उक्त ट्रक वाहन को कुछ ही दूर जाकर घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया। पकड़े व्यक्ति की पहचान चालक मल्लाराम पुत्र वागाराम निवासी ग्राम रानी गाव कल्ला थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर राजस्थान उम्र करीब 32 वर्ष के रूप में हुई। पकड़े गये ट्रक

वाहन सं0-RJ14GL7458 की त्रिपाल पन्नी का हटवाकर को चेक किया गया तो वाहन के डाले में कुल 30 आलू की बोरी व 50 बोरी चावल की भूसी के नीचे अवैध शराब रखे हुए पाये गये जिन्हे बाहर निकालकर गिनती की गयी तो कुल 1028 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिस पर “For Sale in Punjab Only” अंकित था। बरामद शराब का विवरण निम्नवत है- IMPERIAL BLUE (375 ML)– 31 पेटी (279 लीटर), ROYAL CHALLENGE (750 ML)– 315 पेटी (2835 लीटर), ROYAL CHALLENGE (180 ML)– 145 पेटी (1252.8 लीटर), ALL SEASONS (750 ML)– 239 पेटी (2151 लीटर), MCDOWELL (750 ML)– 298 पेटी (2682 लीटर) कुल 1028 पेटी में 9199.8 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। अभियुक्त के कब्जे से नगद ₹1200 एवं 02 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। वाहन को धारा 207 MV Act के अंतर्गत सीज किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0 139/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 60/63 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त से ट्रक को पुलिसकर्मी पर चढ़ाने के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि हमे किसी भी कीमत पर अवैध अंग्रेजी शराब से भरी ट्रक को बिहार पहुंचाना था, जिसके लिए मुझे अच्छी कीमत मिलती है बिहार में शराब पर बन्दी है इसलिए मैं व मेरे वाहन स्वामी द्वारा पंजाब से सस्ते दाम पर शराब खरीद कर बिहार में ले जाकर ऊचे दामो पर बेचते है जिससे हमे काफी मुनाफा होता है इस समय होली आने वाली है और बिहार में और अधिक दामो पर ये शराब बिकेगी। इसलिए मेरे द्वारा ट्रक को आप सभी के ऊपर चढ़ाते हुए भागने का प्रयास किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मल्लाराम पुत्र वागाराम निवासी ग्राम रानी गाव कल्ला थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर राजस्थान उम्र करीब 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 139/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

(गिरफ्तार अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक जानकारी की जा रही है।)

बरामदगी विवरण-

1.1200 रुपया

2.02 मोबाइल फोन

3.IMPERIAL BLUE (375 ML) – 31 पेटी (279 लीटर)

ROYAL CHALLENGE (750 ML) – 315 पेटी (2835 लीटर)

ROYAL CHALLENGE (180 ML) – 145 पेटी (1252.8 लीटर)

ALL SEASONS (750 ML) – 239 पेटी (2151 लीटर)

MCDOWELL (750 ML) – 298 पेटी (2682 लीटर)

कुल 1028 पेटी में 9199.8 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत 1.68 करोड़ रुपये।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना अलीनगर

उ0नि0 अनिल कुमार यादव

उ0नि0 अमित कुमार सिंह

उ0नि0 पंकज कुमार सिंह

का0 आकाश सिंह

का0 राहुल खरवार

हे0 का0 बच्चा सिंह

का0 प्रवेश कुमार सिंह

स्वाट टीम/सर्विलांस टीम प्रभारी-

स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव,

सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा

हे0का0 अरविन्द कुमार यादव

हे0का0 राणाप्रताप सिंह

हे0का0 रामानन्द यादव

हे0का0 विजेन्द्र कुमर सिंह

हे0का0 आशुतोष सिंह

हे0का0 आनन्द सिंह

हे0का0 प्रेमप्रकाश यादव

हे0का0 मन्टू सिंह

का0 अजीत सिंह

का0 नीरज कुमर मिश्रा

का0 मनीष कुमर

का0 संदीप कुमर

जनपद चन्दौली

◆ पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वाट/सर्विलांस की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से कुल-75 गुमशुदा व खोए मल्टीमीडिया मोबाइल सेट किये गये बरामद

◆ पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शिविर पुलिस लाईन चन्दौली के नवीन सभागार में 75 गिरे/खोये मल्टीमीडिया मोबाइलों को उनके स्वामियों को किया गया वितरित

*◆ बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रूपये *

◆ चन्दौली पुलिस द्वारा दिनांक 10.11.2023 को 125 मोबाइल सेट (कीमत लगभग 18.75 लाख रू0), दिनांक 11.03.2024 को 101 मोबाइल सेट (कीमत लगभग 16.00 लाख रू0) व दिनांक 25.05.2025 को 151 मोबाइल सेट (कीमत लगभग 30.00 लाख रू0) को बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया है सुपुर्दा।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त खोये/गिरे मोबाइलों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वाट/सर्विलांस की टीम को गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा अथक प्रयास से विभिन्न कम्पनियों के कुल-75 मल्टीमीडिया मोबाइल कीमत लगभग 16 लाख रूपये बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक-03.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी क्राइम की उपस्थिति में शिविर पुलिस लाईन, चन्दौली के नवीन सभागार कक्ष में बरामदशुदा मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया।

चन्दौली पुलिस द्वारा नवम्बर 2023 से अब तक कुल 452 मोबाइल सेट (जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 80.75 लाख रू0) उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया है।

दिनांक 10.11.2023 को 125 मोबाइल सेट (कीमत लगभग 18.75 लाख रू0),

दिनांक 11.03.2024 को 101 मोबाइल सेट (कीमत लगभग 16.00 लाख रू0) व

दिनांक 25.05.2025 को 151 मोबाइल सेट (कीमत लगभग 30.00 लाख रू0) को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया है।

कुल बरामदगी –

75 मल्टीमीडिया मोबाइल सेट कीमत लगभग-16 लाख रूपये।

थानावार बरामदगी विवरण-

सर्विलांस सेल-42

थाना बबुरी - 14

थाना धानापुर - 04

थाना धीना - 04

थाना सैयदराजा - 04

थाना बलुआ-03

थाना सकलडीहा - 02

थाना चन्दौली-01

थाना अलीनगर - 01

नोट- प्राप्त प्रार्थना पत्र के आवेदकों द्वारा अपार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक चन्दौली व सर्विलांस सेल चन्दौली की टीम को धन्यवाद प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

मोबाइल बरामद करने वाली टीम-

कृष्ण मुरारी शर्मा, क्षेत्राधिकारी क्राइम

स्वाट टीम/सर्विलांस टीम प्रभारी-

स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजनम यादव,

सर्विलांस टीम प्रभारी उ०नि० आशीष मिश्रा

हे०का० अरविन्द कुमार यादव

हे०का० राणाप्रताप सिंह

हे०का० रामानन्द यादव

हे०का० विजेन्द्र कुमार सिंह

हे०का० आशुतोष सिंह

हे०का० आनन्द सिंह

हे०का० प्रेमप्रकाश यादव

हे०का० मन्दू सिंह

का0 अजीत सिंह

का0 नीरज कुमार मिश्रा

का0 मनीष कुमार

का0 संदीप कुमार